02

1) आज पत्रावली पेश कोर्ट हाजिरी में पेश हुई प्रार्थना पत्र का मूलवाद निर्णित हो चुका है अतः इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे निर्णय रजिस्टर में लिखा व उठाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned by CamScanner